समक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका 2828 /2004

याचिकाकर्ता : श्रीमती दुलोरिन बाई साहू पति भिखारी राम साहू, सरपंच ठाठापुर ग्राम पंचायत, सर्कल बिरेन्द्रनगर, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1. कलेक्टर, कवर्धा कबीरधाम
2. अनुविभागीय अधिकारी (जी.एम्.) कवर्धा, जिला कबीरधाम
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कवर्धा, जिला कबीरधाम
4. समारूराम, पंच, ग्राम पंचायत ठाठापुर
5. डिलीटेड
6. सिद्धराम, पंच, ग्राम पंचायत ठाठापुर
7. सीताराम, पंच, ग्राम पंचायत ठाठापुर
8. गरीबिन बाई, पंच, ग्राम पंचायत ठाठापुर
9. भगैया बाई, पंच, ग्राम पंचायत ठाठापुर

सभी निवासी ग्राम ठाठापुर, तहसील कवर्धा, ब्लॉक – सहसलोहारा तहसील, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 226/227, भारत का संविधान

समक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका 2828 /2004

श्रीमती दुलोरिन बाई साहू

विरुद्ध

कलेक्टर, कबीरधाम और अन्य

आदेश हेतु दिनांक 22 दिसम्बर 2004 के लिए सूचीबद्ध करें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
एल.सी.भादू
न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

समक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका 2828 /2004

श्रीमती दुलोरिन बाई साहू

विरुद्ध

कलेक्टर, कबीरधाम और अन्य

उपस्थित:–

श्री दिनेश आर.के.तिवारी, अधिवक्ता : वास्ते याचिकाकर्ता

श्री संजय एस.अग्रवाल, शासकीय अधिवक्ता : वास्ते शासन/ उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2

श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता : वास्ते उत्तरवादी क्रमांक 4, 6, 7, 8 और 9

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आदेश

(22 दिसम्बर 2004 को पारित)

एल.सी. भादू न्यायाधीश

1. याचिकाकर्ता जो वर्ष 2000 में ग्राम पंचायत ठाठापुर का निर्वाचित सरपंच था, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत यह रिट याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें राजस्व प्रकरण क्रमांक 263/बी/121/2003–04 में विहित प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, कबीरधाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.4.2004 (अनुलग्नक पी–7) के आदेश की वैधता, शुद्धता और औचित्य पर सवाल उठाया गया है, जिसके तहत विद्वान विहित प्राधिकारी ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 40 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता को सरपंच के पद से

हटा दिया था और साथ ही पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 31/बी–121 वर्ष 2003–2004 में कलेक्टर, कबीरधाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2004 के आदेश की वैधता, शुद्धता और औचित्य पर भी सवाल उठाया है।

2. इस रिट याचिका को प्रस्तुत करने के पीछे संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने फरवरी, 2000 में ग्राम पंचायत: ठाठापुर के सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा था और वह उक्त आम चुनाव में निर्वाचित हुई थी। परिणामस्वरूप, उसने अनुलग्नक पी–1 के अनुसार उक्त पद का कार्यभार संभाला। हालाँकि, 20.5.2004 को ग्राम पंचायत के छह व्यक्तियों ने अनुविभागीय अधिकारी कबीरधाम (जिसे आगे 'विहित प्राधिकारी' कहा जाएगा) के समक्ष शिकायत की थी कि याचिकाकर्ता ने खसरा क्रमांक 335 के रकबा 10.70 में से 0.05 डिसमिल शासकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया है। तदनुसार, नायब तहसीलदार लोहारा द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु प्रकरण दर्ज किया गया । अधिनियम की धारा 56 (1) (घ) के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता को अतिक्रमणकारियों को रोकना एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करना था, जबकि याचिकाकर्ता ने स्वयं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है जो अधिनियम की धारा 40 (1) (क) के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता की ओर से कदाचार का मामला बनता है, अतः उसे पद से हटाया जाए। इस शिकायत के प्राप्ति होने पर, विहित प्राधिकारी ने प्रकरण दर्ज किया और उसी दिवस अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया और प्रकरण की अगली सुनवाई 8 मार्च, 2004 को नियत की। 8 मार्च, 2004 को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए स्थगन की मांग की। विहित प्राधिकारी ने जवाब प्रस्तुत

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

करने के लिए प्रकरण को 22 मार्च, 2004 के लिए स्थगित कर दिया। हालाँकि दिनांक 22 मार्च, 2004 को और अगली सुनवाई की तिथि 27 मार्च, 2004 को भी विहित प्राधिकारी दौरे पर थे। दिनांक 29 मार्च, 2004 को भी विहित प्राधिकारी दौरे पर थे। दिनांक 6 अप्रैल, 2004 को विहित प्राधिकारी कार्यालय में नहीं थे तथा दौरे पर थे, अत: प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26 अप्रैल, 2004 के लिए नियत की गई। दिनांक 26 अप्रैल, 2004 को शिकायत की पोषणीयता के संबंध में विधिक आपत्ति याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत की गई, जिसमें उल्लेख किया गया कि उसी भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा उसके ससुर के विरुद्ध मामला चलाया गया था, जिसमें जुर्माना लगाया गया था तथा रसीद भी प्रस्तुत की गई थी, अत: उसी कृत्य तथा उसी भूमि के लिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, अत: प्रार्थी की ओर से कोई घोर लापरवाही नहीं की गई है तथा विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। तथापि, विद्वान अनुविभागीय अधिकारी ने उल्लेख किया कि चूंकि जवाब प्रस्तुत करने का अवसर पहले ही दिया जा चुका है, इसलिए, कोई और अवसर नहीं दिया जा सकता है और याचिकाकर्ता के जवाब प्रस्तुत करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया । विद्वान अनुविभागीय अधिकारी ने आगे उल्लेख किया कि तर्क सुना गया और प्रकरण को आदेश के लिए सुरक्षित रखा गया। अगली तिथि 29 अप्रैल, 2004 दी गई और 29 अप्रैल, 2004 के आक्षेपित आदेश के अनुसार, विद्वान विहित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके खुद ही कदाचार किया है। याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 56 (1) के प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण हटा देना चाहिए था, जबकि उसने खुद शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इसलिए यह कदाचार है, इस कारण उसे सरपंच के पद से हटाया जाना चाहिए। इस बीच, याचिकाकर्ता ने कलेक्टर के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने के याचिकाकर्ता के अधिकार को समाप्त करने के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, लेकिन, पुनरीक्षण पर सुनवाई होने से पहले, विद्वान विहित प्राधिकारी ने आक्षेपित आदेश पारित कर दिया, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.8.2004 को यह रिट याचिका प्रस्तुत की। हालांकि, इसके पश्चात याचिकाकर्ता ने दिनांक 1.9.2004 को कलेक्टर के समक्ष एक अपील भी प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 18.10.2004 को वापस ले लिया गया । इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई मुख्य बाते यह है कि याचिकाकर्ता को निष्पक्ष सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता के हित के प्रतिकूल पारित किया गया है, इसलिए आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. दूसरी ओर, उत्तरवादी सं. 1 व 2/शासन तथा अन्य उत्तरवादियों के जवाबदावा में यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने स्वयं रसीद अनुलग्नक आर–1/2 प्रस्तुत किया है, जिसमें नायब तहसीलदार ने अतिक्रमण के संबंध में उस पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया है तथा नायब तहसीलदार द्वारा लगाए गए जुर्माने के विरुद्ध उसके द्वारा कोई अपील नहीं की गई है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा अतिक्रमण किए जाने के तथ्य को स्वीकार किया गया है, ऐसे में उसके आधार पर विहित प्राधिकारी का आदेश विधि सम्मत है।

4. उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे उठाया गया तर्क यह था कि चूंकि याचिकाकर्ता के पास आक्षेपित आदेश के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील दायर करने के लिए वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था, जिसका याचिकाकर्ता द्वारा लाभ

उठाया गया और अंततः उसे वापस ले लिया गया, इसलिए विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 18.10.2004 के अपील आदेश में समाहित हो गया और कलेक्टर के दिनांक 18.10.2004 के आदेश को चुनौती नहीं दी गई, इसलिए यह रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

5. पक्षकारों दिए गए तर्क पर विचार करने से पहले अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों पर गौर करना लाभदायक होगा, जिसमें पंचायत के किसी पदाधिकारी को हटाने से पहले विहित प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली जांच की प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है। अधिनियम की धारा 40 की उप-धारा (1) में परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी "ऐसी जांच के बाद, जिसे वह उचित समझे" किसी भी समय किसी पदाधिकारी को हटा सकता है। उपधारा का प्रावधान यह भी निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे यह कारण बताने का अवसर न दे दिया जाए कि उसे उसके पद से क्यों न हटाया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसलिए, विहित प्राधिकारी पर यह कर्तव्य डाला गया है कि पंचायत के पदाधिकारी को हटाने से पहले विहित प्राधिकारी को यह पता लगाने के लिए पहले एक जांच करनी होगी कि क्या पदाधिकारी ने स्वयं कोई ऐसा कदाचार किया है जिसके कारण उसे उक्त पद से हटाया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 40 में उल्लिखित परिणाम ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत स्तर पर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने का प्रावधान करते हैं। इसलिए, परिणाम बहुत गंभीर हैं। विहित प्राधिकारी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि पंचायत का पदाधिकारी ग्राम पंचायत की आम जनता/मतदाताओं द्वारा विधिवत निर्वाचित होता है, वह आम जनता का प्रतिनिधि

होता है, और उसे इस लापरवाही पूर्व जाँच के आधार पर पद से नहीं हटाया जाना चाहिए | विहित प्राधिकारी को पदाधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर देना आवश्यक है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए और इसमें शामिल "ऑडी अल्टरम पार्टम" के नियम का पालन किया जाना चाहिए। किसी पक्ष को सभी सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिस पर वह भरोसा करता है, कि प्रतिद्वंद्वी का साक्ष्य उसकी उपस्थिति में लिया जाना चाहिए, और उस पक्ष को उस पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहों से प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिया जाना चाहिए और उस पक्ष के खिलाफ किसी भी सामग्री पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उसे उन्हें समझाने का अवसर न दिया जाए, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम टी.आर. वर्मा (एआईआर 1957 एससी 882) और खेमचंद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (एआईआर 1958 एससी 300)** के मामले में अभिनिर्धारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अधिनियम की धारा 40 (1) में प्रयुक्त शब्द "ऐसी जांच के पश्चात जो वह करना उचित समझे" का अर्थ है ऐसी जांच जो पदाधिकारी की उपस्थिति में की जाती है न कि उसकी पीठ पीछे। उसे उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने और उन्हें स्पष्ट करने की अनुमति दी जानी चाहिए जिन पर उसके विरुद्ध भरोसा किया जाना है और उसे अपने स्वयं के साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप की जाने वाली जांच के महत्वपूर्ण पहलू हैं। किसी भी प्रकार की जांच करवाना निर्धारित प्राधिकारी का व्यक्तिपरक विकल्प नहीं है। इसमें गुप्त जांच या केवल प्रारंभिक जांच की परिकल्पना नहीं की गई है। वह केवल साक्ष्य एकत्र

करने के लिए की जाती है और उस स्तर पर उस व्यक्ति की कोई भागीदारी नहीं होती जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी है। शब्द "जैसा वह उचित समझे" का अर्थ वस्तुनिष्ठ रूप से लगाया जाना चाहिए और इसका अर्थ प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जांच करना होगा। जांच के कुछ पहलुओं को बाहर रखा जा सकता है यदि तथ्य बहुत विवादित न हों या अन्य परिस्थितियाँ हों। लेकिन पदाधिकारी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, व्यक्ति को युक्तियुक्त सुनवाई दी जानी चाहिए। किसी भी दंडात्मक आदेश को पारित करने या उस पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए यदि उसके कारण उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उपयोग वैधानिक प्रक्रियाओं के पूरक के रूप में किया जाता है जो स्वयं सुनवाई या जांच के लिए प्रक्रिया के विस्तृत विनियमन के साथ या उसके बिना प्रावधान करते हैं। यह पूर्व–कल्पित धारणा के साथ शुरू करना उचित नहीं है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित है वह दोषी है। निष्पक्ष सुनवाई के बाद ही दोष का निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

9. **स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम एस.के. शर्मा, एआईआर 1996 एससी 1669 में**, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले के उदाहरणों के विस्तृत सर्वेक्षण के बाद पूर्वाग्रह का परीक्षण तैयार किया है, अर्थात, क्या व्यक्ति को सभी चीजों पर विचार करते हुए निष्पक्ष सुनवाई मिली है। इस निर्णय में तैयार किया गया नियम (5) प्रस्तुत प्रकरण में उपयुक्त रूप से लागू होता है, हालांकि यह किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रकरण नहीं है, बल्कि एक पंचायत के पदाधिकारी के

खिलाफ उसके कदाचार के आधार पर गंभीर परिणामों को शामिल करने का मामला है। वह नियम इस प्रकार है: –

"(5) जहां जांच किसी नियम/विनियम/वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित नहीं होती है और एकमात्र दायित्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना है – या, उस मामले के लिए, जहां भी ऐसे सिद्धांतों को आदेश/कार्रवाई के बहुत ही प्राकृतिक प्रभाव से निहित माना जाता है – न्यायालय या न्यायाधिकरण को प्राकृतिक न्याय के पूर्ण उल्लंघन (ऑडी अल्टरम पार्टम का नियम) और उक्त नियम के एक पहलू के उल्लंघन के बीच अंतर करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, "कोई अवसर नहीं" और कोई पर्याप्त अवसर नहीं, "कोई नोटिस नहीं"/"कोई सुनवाई नहीं" और "कोई निष्पक्ष सुनवाई नहीं" के बीच अंतर किया जाना चाहिए: (ए) पूर्व के मामले में, पारित आदेश निस्संदेह अवैध होगा (कोई इसे "शून्य" या शून्य कह सकता है यदि कोई चुनना चाहता है)। ऐसे मामलों में, आम तौर पर प्राधिकारी के लिए विधि के अनुसार नए सिरे से कार्यवाही करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी, यानी, उक्त नियम (ऑडी अल्टरम पार्टम) के अनुसार। (बी) लेकिन बाद के मामले में, उल्लंघन का प्रभाव (ऑडी अल्टरम के नियम के एक पहलू का) पक्षपात) की जांच पूर्वाग्रह के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए; दूसरे शब्दों में, न्यायालय या न्यायाधिकरण को यह देखना होगा कि क्या परिस्थितियों की समग्रता के आधार पर, दोषी अधिकारी/कर्मचारी को निष्पक्ष सुनवाई मिली या नहीं, तथा पारित किए जाने वाले आदेश उक्त प्रश्न के उत्तर पर निर्भर होंगे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अब, यदि हम इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को निष्पक्ष सुनवाई और उचित अवसर प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मानदंड पर देखें, तो यह एक स्वीकृत स्थिति है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, याचिकाकर्ता के ससुर के खिलाफ वर्ष 1988 में अतिक्रमण के लिए मामला शुरू किया गया था और दिनांक 4.1.1992 को अनुलग्नक आर–1/1 के द्वारा उन पर 25/–रुपये का जुर्माना लगाया गया था और फिर दिनांक 17.2.1994 को अनुलग्नक आर–1/1 के तहत उन पर 50/– रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा, वर्ष 1999–2000 में अनुलग्नक आर–1/2 के तहत याचिकाकर्ता पर 50/– रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जब याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, तो उसके द्वारा एक विधिक आपत्ति (अनुलग्नक आर–4सी) उठाई गई थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि उसने कभी भी संबंधित भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया। वास्तव में उसके ससुर के खिलाफ मामला चलाया गया था और उस पर जुर्माना लगाया गया था, उसने वह जुर्माना जमा कर दिया था और वह पिछले 20–22 वर्षों से उस भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जे में था। दिनांक 5.8.1996 को नायब तहसीलदार, लोहारा द्वारा एक घोषणा की गई थी, और 15 दिनों के भीतर किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई और भूमि लंबे समय से उसके ससुर के कब्जे में थी और अब, राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण और उसके पद को हथियाने के लिए वर्ष 2004 में याचिकाकर्ता के खिलाफ एक शिकायत की गई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

था, जिसे विहित प्राधिकारी ने अस्वीकार कर दिया और आक्षेपित आदेश पारित किया।

11. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि विहित द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने खुद उस पर लगाए गए जुर्माने की रसीद प्रस्तुत करके अतिचार के बारे में स्वीकार किया है, इसलिए अतिचार साबित होता है। विद्वान विहित प्राधिकारी का निष्कर्ष पूरी तरह से विपरीत है, विशेष रूप से विधिक आपत्ति को देखते हुए याचिकाकर्ता ने यहां जो मामला उठाया है। उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसके ससुर पिछले 20–22 वर्षों से अधिक समय से इस भूमि पर काबिज हैं और वे शांतिपूर्ण तरीके से उस पर कब्जे में है, उन्होंने एक घर भी बनाया था और इसी उद्देश्य से उन पर जुर्माना लगाया गया था। इसलिए, वर्ष 2000 में याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं चलाया जा सकता था। यह अभिलेख में है। इसलिए, केवल उस पर लगाए गए जुर्माने की रसीद के आधार पर यह स्वतः ही साबित नहीं माना जा सकता है कि उसने याचिकाकर्ता द्वारा यहां उठाई गई विधिक आपत्ति को देखते हुए स्वीकार किया है कि वह एक अतिचारी है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई विधिक आपत्ति के मद्देनजर, भले ही याचिकाकर्ता को विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के लिए और समय न दिया गया हो, कम से कम विहित प्राधिकारी को इस तथ्य की जांच करनी चाहिए थी कि क्या याचिकाकर्ता के ससुर का कब्जा है या वह अतिचारी है या याचिकाकर्ता अतिचारी है और उस उद्देश्य के लिए, संबंधित विभाग को विहित प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा अतिचार को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता को उन साक्षियों से प्रति–परीक्षण करने और

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दस्तावेजों को समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए था और उसके बाद याचिकाकर्ता को उसके द्वारा लिए गए रुख को साबित करने और स्थापित करने के लिए सबूत प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी, तभी विहित प्राधिकारी को विधि के अनुसार आदेश पारित करना चाहिए था। इसलिए, तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है और अधिनियम की धारा 40 (1) के तहत परिकल्पित जांच निर्धारित प्राधिकारी द्वारा इस निर्णय पर पहुंचने से पहले नहीं की गई थी कि याचिकाकर्ता यहां अतिचारी है। इन परिस्थितियों में, आक्षेपित आदेश को अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि अगर इसे अस्तित्व में रहने और जारी रहने की अनुमति दी जाती है तो यह न्याय की विफलता होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अब, वैकल्पिक उपाय के प्रश्न पर आते हैं, यह सच है कि विहित प्राधिकारी द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने के बाद याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.8.2004 को यह रिट याचिका प्रस्तुत की और इस बीच दिनांक 1.9.2004 को कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, लेकिन इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, उन्होंने दिनांक 18.10.2004 को उस अपील को वापस ले लिया। वैकल्पिक उपाय के बिंदु पर विधि यह है कि रिट जारी होने से पहले वैकल्पिक उपाय विधि का नियम नहीं है, बल्कि नीति, सुविधा और विवेक का नियम है। उच्च न्यायालय आसानी से एक ऐसे मामले में उत्प्रेषण रिट जारी करेगा जहां प्राकृतिक न्याय से इनकार किया गया है, जैसा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने **सुखलाल सेन बनाम कलेक्टर, जिला सतना और अन्य** के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है, जो **एआईआर 1969 मध्य प्रदेश 176** में प्रकाशित किया गया है। माननीय सर्वोच्च

न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश बनाम मोहम्मद नूह एआईआर 1958 एससी 86** के मामले में भी यही दृष्टिकोण लिया था। सुखलाल सेन (पूर्वोक्त) के मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित कि प्राकृतिक न्याय का पालन आवश्यक है और यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो दोष मौलिक है और केवल इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इंकार करना विवेक का उचित प्रयोग नहीं होगा कि याचिकाकर्ता को अपील प्रस्तुत करना चाहिए था।

13. **हरबंसलाल साहनिया एवं अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य ने (2003) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 107** के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> *"वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता द्वारा रिट अधिकार क्षेत्र के अपवर्जन का नियम विवेक का नियम है न कि बाध्यता का। किसी उपयुक्त मामले में, वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के बावजूद, उच्च न्यायालय कम से कम तीन परिस्थितियों में अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है: (i) जहां रिट याचिका किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन की मांग करती है: (ii) जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की विफलता है; या (iii) जहां आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है या किसी अधिनियम की शक्तियों को चुनौती दी गई है।"*

प्रस्तुत प्रकरण में, जैसा कि ऊपर माना गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए, उपरोक्त विधि और तथ्यों के मद्देनजर, वैकल्पिक उपाय के बारे में उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को स्वीकार नहीं की जा सकती है और रिट याचिका को केवल इस आधार पर खारिज

नहीं किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 40(1) में परिकल्पित प्रक्रिया का पालन किए बिना आक्षेपित आदेश के द्वारा सरपंच के पद से हटा दिया गया है , तथा प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष जांच के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है।

14. उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि चूंकि अनुविभागीयअ अधिकारी का आदेश अपील में कलेक्टर द्वारा पारित दिनांक 18.10.2004 के आदेश में समाहित हो गया है, जिसके अंतर्गत अपील को वापस लेते हुए खारिज कर दिया गया था तथा उसे इस रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए इस आधार पर यह रिट याचिका पोषणीय नहीं है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने **एआईआर 2000 एससी 2587 (कुन्हयाम्मद एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य), (2002) 8 एससीसी 361 (एस. शानमुगावेल नादर बनाम टी.एन. राज्य एवं अन्य) तथा जे.टी. 2004 (8) एससी 255 (चंडी प्रसाद एवं अन्य बनाम जगदीश प्रसाद एवं अन्य)** में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अवलंब किया गया है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृस्टान्त और सिद्धांतों का अवलोकन किया । उपरोक्त निर्णय उत्तरवादीगण के लिए किसी भी प्रकार से सहायक नहीं हैं, क्योंकि इस प्रकरण में विलय के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने अपील प्रस्तुत करने से पहले रिट याचिका दायर की थी और अपील को दिनांक 18.3.2004 को वापस ले लिया गया था, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विहित प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि या परिवर्तन या संशोधन करने के लिए कोई तर्कसंगत आदेश पारित नहीं किया गया था। बिना कोई

कारण बताए पारित कोई भी आदेश अंतिम आदेश नहीं माना जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में माना है कि ऐसे निर्णयों को भी अवशिष्ट के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णय **एस. शानमुगावेल नादर (सुप्रा)** द्वारा उद्धृत निर्णय में भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि "तकनीकी आधार पर एसएलपी को संक्षेप में खारिज करने का अपील के तहत उच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रभाव – विलय का सिद्धांत लागू नहीं होता है"। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि –

> *"जब किसी निर्णय या आदेश पर उच्चतर फोरम द्वारा विचार किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पुष्टि, उलटफेर या संशोधन होता है, तो जो चीज विलीन होती है वह है सक्रिय भाग अर्थात निम्न फोरम द्वारा जारी आदेश या डिक्री, सकारात्मक या नकारात्मक रूप में व्यक्त – स्पष्ट किया गया कि निचली न्यायालय के निर्णय में दिए गए कारणों को तभी विलयित कहा जा सकता है जब उच्च न्यायालय तर्क को अपनाता है या दोहराता है या तर्क के लिए अपनी स्वीकृति को स्पष्ट रूप से दर्ज करता है।"*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसी तरह, **कुन्हायम्मद (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था, जिसमें यह माना गया है कि –

> "उच्चतर न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकार क्षेत्र की प्रकृति और चुनौती दी गयी या दी जाती है वाली विषय–वस्तु या विषय–वस्तु को ध्यान में रखना होगा। उच्चतर न्यायालय को अपने समक्ष रखे गए आदेश को उलटने, संशोधित करने या पुष्टि करने में सक्षम होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का

प्रयोग करते समय अपील किए गए निर्णय–आज्ञप्ति या आदेश को उलट सकता है, संशोधित कर सकता है या पुष्टि कर सकता है, न कि अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका का निपटारा करने वाले विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय। इसलिए विलय का सिद्धांत पहले वाले पर लागू किया जा सकता है, दूसरे पर नहीं।"

चंडी प्रसाद (पूर्वोक्त) के प्रकरण में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है।

16. प्रस्तुत प्रकरण में भी विद्वान कलेक्टर ने कारण बताते हुए और निर्णय की पुष्टि करते हुए गुण–दोष के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया है, बल्कि अपील को वापस करते हुए निराकृत किया है। इसलिए, प्रस्तुत प्रकरण में विलय का सिद्धांत लागू नहीं होता है और रिट याचिका पोषणीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता की रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है और विहित प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 29.4.2004 के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। व्यय के सम्बन्ध मे कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।

सही/–
एल.सी. भादू
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By PRITAM SINGH

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur